भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1734
जिसका उत्तर शुक्रवार, 16 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्दावली का उपयोग

1734. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :
श्री मनोज कोटक :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्दावली के उपयोग को व्यापक रूप से मजबूत करने का विचार है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के उपयोग में पिछड़ रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार का इस संबंध में संस्थागत अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्दावली उन देशों के लिए एक मार्गदर्शन दस्तावेज है जो बहुपक्षीय संधियों/सम्मेलनों के पक्षकार हैं और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विधि की बुनियादी शब्दावली की सामान्य समझ है। देश अलग-अलग फॉर्मूलेशन और भाषा चुनते हैं जो संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि एक जीवित अंग है और भारत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय संधियों में प्रवेश करते समय विश्व स्तर पर अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रथा का पालन करता है और अपने संवैधानिक लक्ष्यों से समझौता किए बिना उनका प्रारूप तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्दावली का विकल्प चुनता है।

(ग) : उपरोक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

****